

HUDCO/List. Comp./SE/2025

24th August, 2025

Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001
SCRIP CODE: 540530

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051
SCRIP CODE: HUDCO

Sub.: Newspaper Publication in respect of completion of dispatch of Notice of 55th Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2024-25

Sir/Madam,

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of the newspaper publication, in respect of sending of Annual Report to the shareholders, published in 'Financial Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi) in edition dated 24th August, 2025.

यह आपकी जानकारी के लिए है। This is for your kind information.

धन्यवाद

भवदीय

फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विकास गोयल

कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर

Encl: as above

● PART OF TRUMP'S INNER CIRCLE

Sergio Gor named US envoy to India

Also named special envoy for south and central Asian affairs

PRESS TRUST OF INDIA
Washington, August 23

SERGIO GOR, THE White House personnel director and a loyal member of President Donald Trump's inner circle, has been nominated as the next American envoy to India, a move that comes amid an estrangement of ties between the two countries over trade-related issues.

President Trump, announcing the nomination of 38-year-old Gort to the key ambassadorial position, said he will also serve as the special envoy for South and Central Asian Affairs.

"For the most populous region in the World, it is important that I have someone I can fully trust to deliver on my agenda and help us 'Make America Great Again'," the president said on social media.

Gor played a major role in the political action committee (PAC) of Trump's campaign in the run-up to the 2024 presidential elec-



Sergio Gor

tion and his influence increased manifold after he was tasked of vetting political appointees in the new administration.

In January, the then US ambassador to India, Eric Garcetti, stepped down from the post, paving the way for the Trump administration to appoint its new envoy.

US Vice President JD Vance, Secretary of State Marco Rubio and Commerce Secretary Howard Lutnick welcomed Trump's decision to nominate Gor as the next ambassador to India. There were reports that Gor played a role in Trump's dramatic falling out with tech billionaire Elon Musk, who had even described Gor as a "snake".

The process of confirmation by the Senate of Gor's new assignment will be the next step.

"I am pleased to announce that I am promoting Sergio Gor to be our next United States Ambassador to the Republic of India, and Special Envoy for South and Central Asian Affairs," Trump said in a social media post. As director of presidential personnel, Sergio and his team have hired nearly 4,000 'America First Patriots' across every department of our federal government in record time, he said.

Sergio is a "great friend", who has been at "my side" for many years, the US president said, adding he worked on my "historic presidential campaigns", published my best-selling books, and ran one of the biggest "Super PACs".

The US president said Gor will remain in his current role at the White House until his confirmation by the Senate.

In his reaction, Gor said he was "beyond grateful" to Trump for showing "incredible trust and confidence" in nominating him to be his next US ambassador to India and the special envoy for South and Central Asian Affairs.

Govt clarifies no unblocking order issued on TikTok

OJASVI GUPTA
New Delhi, August 23

CHINESE VIDEO MAKING platform, TikTok has not been retrieved by the government, official sources clarified following reports that TikTok's official website had become partially accessible in India.

"Government of India has not issued any unblocking order for TikTok. Any such statement/news is false and misleading," government sources said.

As reported by *FE* earlier, TikTok's official website was accessible featuring the home page, while major sections were missing. The official app is however unavailable on both Google Play Store and Apple App Store.

Sources have clarified that the website's blockage was maintained by the Internet service providers (ISPs), raising concerns as to how it appeared for some users.

The short video app, owned by ByteDance, was imposed a ban under Section 69A of the IT Act in the country following the Galwan Valley clash between Indian and Chinese troops in June 15 and June 16,



■ The official app continues to remain unavailable on both Google Play Store and Apple App Store

2020 at the western sector of the line of actual control (LAC) in eastern Ladakh.

Many users had shared screenshots of the website on social media apps speculating that the ban to be lifted after the partial website restoration. TikTok's website showing up in India could be the result of a network-level misconfiguration, stated *TechCrunch*. A similar incident happened back in September 2022, which was soon after rectified.

● NEW CHAPTER FOR CULTURAL ICON

Screen Awards to now be digital-first with YouTube



EXPRESS NEWS SERVICE
Mumbai, August 23

AFTER A HIATUS, The Indian Express Group is bringing back the prestigious Screen Awards this year and adopting a digital-first approach by collaborating with YouTube. The Screen Awards 2025, which represents a powerful blend of editorial credibility, cultural legacy, and digital reach, is backed by The Indian Express Group's journalism-first ethos. The winners will be chosen by the Screen Academy — an independent, not-for-profit body of acclaimed filmmakers, artists, and cultural voices committed to recognising true excellence.

Speaking on the collaboration, Gunjan Soni, managing director, India, YouTube said: "We are thrilled to be the digital home for the Screen Awards, bringing a cultural icon to its next chapter. YouTube is where billions of fans connect with the entertainment they love, and we're excited for them to experience one of cinema's biggest nights in an immersive way. By bridging Bollywood's biggest stars with YouTube's most influential creators, we're building an engaged community for an iconic event and unlocking the power of fandoms." Taking a digital-first



Anant Goenka, executive director, The Indian Express Group; Gunjan Soni, country managing director, YouTube India; Priyanka Sinha Jha, curator, Screen Awards

approach to content and format, the Screen Awards will stream on YouTube — offering open access to global audiences. For the first time ever, Bollywood's biggest stars will share the spotlight with YouTube's most influential creators, who will be woven into every leg of this three-month-long festival — from red carpet and behind-the-scenes content to creator-led storytelling and fan engagement.

This collaboration reflects a fundamental shift in how audiences consume entertainment, driven by significant trends in India's entertainment landscape, including surging internet penetration, rapid growth in Connected TVs (CTV), and increasing mobile consumption. In fact, CTV has been YouTube's fastest-growing screen in India for the last five years, reinforcing the platform's unique position to make premium content accessible on every screen and in every format.

Elaborating on the upcoming edition of Screen Awards, Anant Goenka, executive direc-

tor of The Indian Express Group, said: "Indian cinema deserves a stage that celebrates creativity beyond collections. Our storytellers carry 1.4 billion dreams — rooted in tradition and racing toward an exciting future. This award will honour that spirit and spotlight India's boldest, most original voices. We're thrilled YouTube shares our enthusiasm for this endeavour."

With unparalleled reach in India and globally, YouTube is an ideal home for the Screen Awards. According to ComScore, YouTube reaches four out of five internet users in India aged 18 and older, while entertainment videos on the platform generated over 7.5 billion daily views worldwide in 2024. Highlighting the legacy of Screen Awards, Priyanka Sinha Jha, curator of the Screen Awards, said: "Established in 1995, Screen Awards has a legacy of firsts: the first jury-based film award in India, the first award show the Oscars management attended and vouched for, and the first accolade earned by several of today's superstars."

With the inception of The Screen Academy and our partnership with YouTube, we mark another first for India — building on our reputation for presenting the nation's most credible and coveted awards, delivered with path-breaking entertainment."

Apple claims Oppo stole trade secrets

BLOOMBERG
August 23

APPLE HAS ACCUSED smartphone maker Oppo in a lawsuit of poaching a highly paid member of the Apple Watch team and encouraging him to steal trade secrets for his new job with the Chinese firm. Sensor system architect Chen Shi secretly accessed confidential documents on Apple's health-sensing technologies for Oppo's benefit to develop a competing wearable device before departing Apple in June, according to a complaint filed Thursday in federal court in San Jose, California. "Concealing his impending employment with a direct com-

MOVING COURT

■ Apple has repeatedly accused former employees and rivals over intellectual property theft



petitor, Shi set up and attended dozens of one-on-one meetings with Apple Watch technical team members to learn about their ongoing research," according to the complaint. In addition, "late at night just three days

before leaving Apple, Shi downloaded 63 documents from a protected Box folder," according to the complaint. "He then transferred them to a USB drive one day before his departure." Apple has filed numerous

suits in recent years accusing employees and rival companies of breaching contracts and stealing valuable intellectual property. At least three of the iPhone maker's former engineers who worked on its now abandoned EV autonomous driving project have been criminally prosecuted for allegedly taking secrets to China. The tech giant also has been locked in a court battle with Irvine, California-based Masimo Corp since 2020 over smartwatch technology. Shi concealed his defection to Oppo, by falsely telling his colleagues at Cupertino that he was returning to China to take care of his aging parents, as per the complaint.

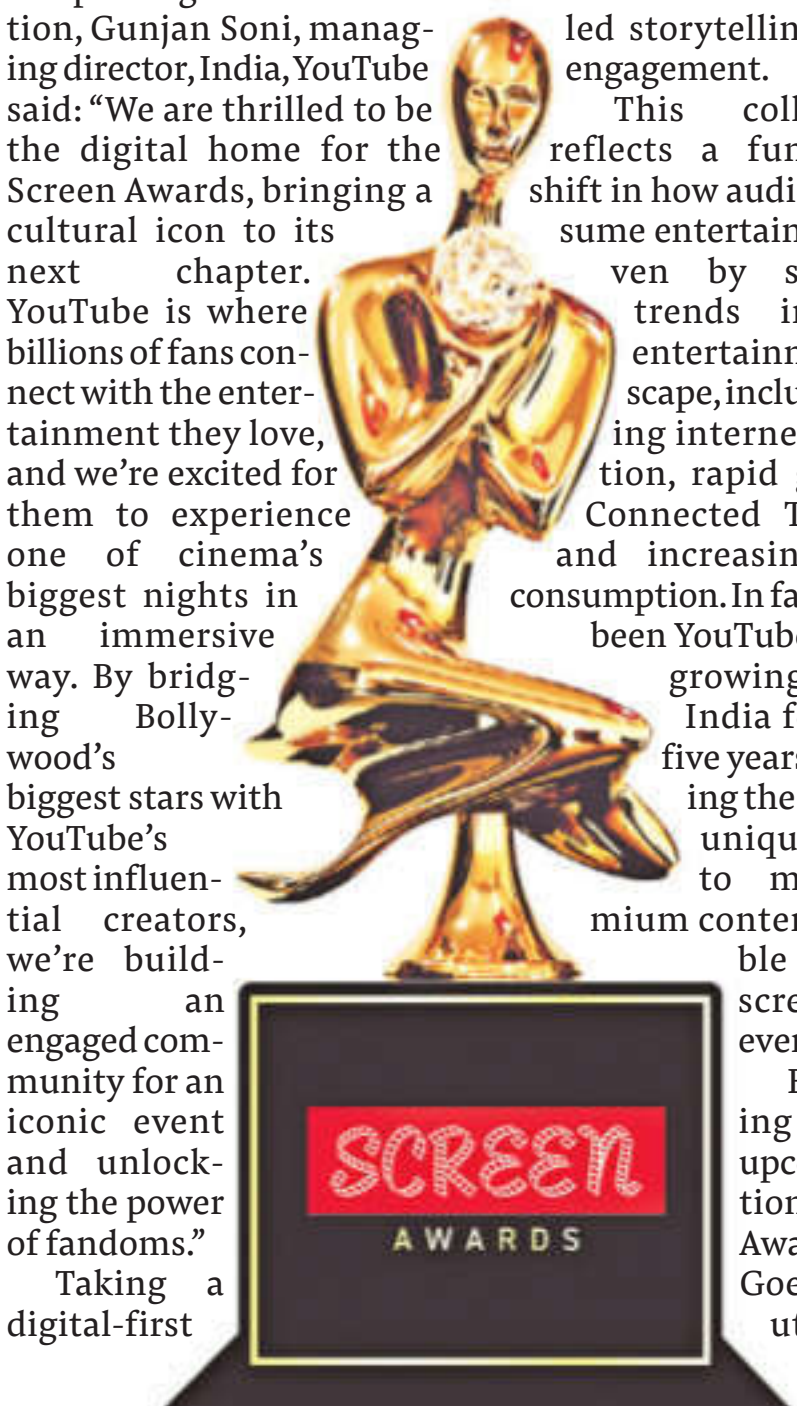
Coca-Cola likely to sell Costa Coffee

US SOFT DRINKS company Coca-Cola is working with investment bank Lazard to review options, including a potential sale, of British coffee chain Costa, which it acquired in 2018 for over \$5 billion, *Sky News* reported on Saturday.

Coca-Cola, Costa, and Lazard did not immediately respond to requests for comment.

Coca-Cola has held initial talks with a small number of potential bidders for Costa, including private equity firms, *Sky News* reported, citing unidentified sources.

—REUTERS



Ramkrishna Forgings Limited
CIN No: L74210WB1981PLC032481
23 CIRCUS AVENUE, KOLKATA-700017
Email- secretarial@ramkrishnaforgings.com
Phone: 033-7122 0900, Website: www.ramkrishnaforgings.com

NOTICE OF THE 43RD ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Ramkrishna Forgings Limited ("the Company") is scheduled to be held on Saturday, 20 September, 2025 at 11:30 A.M. (I.S.T) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business, as set out in the AGM notice dated Friday, 1 August, 2025.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 09/2024 dated 9 September, 2024 and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3 October, 2024 (collectively referred to as the "Circulars") has permitted the holding of the AGM through VC/OAVM facility, without the physical presence of the Shareholders at a common venue. In compliance with the Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the SEBI Listing Regulations), the 43rd AGM of the Company will be held through VC/OAVM and the Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM through electronic mode.

Attend AGM through VC/OAVM:

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Member will be provided with the facility to attend the AGM through VC/OAVM through the E-Voting platform of KFin Technologies Limited (Formerly known as KFin Technologies Private Limited). Members may access the same at <https://meetings.kfintech.com> under shareholders/members login where the EVEN of the Company will be displayed. Further details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the AGM will be provided in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Electronic Dissemination of Notice and Annual Report:

(a) The Notice of 43rd AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent only by electronic mode to those members whose e-mail ids are registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) in compliance with MCA and SEBI Circulars.

(b) A letter containing the weblink of Notice of 43rd AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent at the registered address of the shareholders whose e-mail ids are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s).

(c) Members holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email ids and mobile numbers with their relevant Depositories through their Depository Participants.

(d) Members holding shares in physical mode who have not registered/updated their e-mail ids with the Company are requested to comply with the ISR 1 process at <https://ris.kfintech.com/clientservices/lsc/default.aspx>.

(e) The notice of AGM and the Annual Report will also be available on Company's website at www.ramkrishnaforgings.com, website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at and on the website of the Registrar and Transfer Agent, KFinTech Technologies Limited at <https://www.kfintech.com>.

Manner of Casting vote at the AGM

The members will have an opportunity to cast their votes electronically on the business as set out in the AGM Notice dated Friday, 1 August, 2025, through remote e-voting/e-voting at the AGM. If your e-mail id is already registered with the Company/RTA/Depository Participant(s), login details for e-voting will be sent on your registered e-mail id. In case you have not registered your e-mail id with the Company/RTA/Depository Participant(s), the detailed procedure of voting by members holding shares in dematerialized form, physical mode and members who have not registered their e-mail id will be provided in the AGM notice.

The notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company in compliance with the applicable Circulars.

For Ramkrishna Forgings Limited
Sd/-
Rajesh Mundhra
Company Secretary & Compliance Officer
ACS 12391

Place: Kolkata
Date: 23 August, 2025

IRRIGATION TOURISM & IRRIGATION MUSEUM PROJECT AT CHERUTHONI, IDUKKI DI, KERALA.

REQUEST FOR PROPOSAL INVITATION

Kerala Irrigation Infrastructure Development Corporation Ltd, a PSU under Govt. of Kerala invites Request for Proposal for Developing Irrigation Tourism & Irrigation Museum Project in the Government Owned Vacant Land at Cheruthoni, Idukki District, through PPP from Local Self-Government Organisations / Institutions or Other Government Organisations / Institutions or Private Organisations / Institutions or Individuals or Societies. For details visit KIIOC website: kiioc.kerala.gov.in

Chief Executive Officer

Housing and Urban Development Corporation Limited
(A Govt. of India Enterprise)
CIN: L74899DL1970GOI005276 GST No.: 07AAACH0632A1ZF
Regd. Office: HUDCO Bhawan, Core 7A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel: 011-24649610-21
Email: cswhudco@hudco.org, Website: www.hudco.org.in

NOTICE

55th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 55th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on **Monday, 15th September, 2025 at 11:30 AM (IST)** through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the notice.

In compliance of circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, the 55th Annual Report including Notice of 55th AGM has been sent to shareholders of the Company through emails at their registered e-mail addresses. In compliance of Regulation 36 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations 2015, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available has been sent to shareholders who have not registered their email id.

Further, Notice of AGM and Annual Report are also available on the website(s) of Company at www.hudco.org.in, Stock Exchange(s) i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended, the Company is pleased to offer e-voting facility (both remote e-voting and voting at the time of AGM) through the NSDL to all the eligible members in respect of all the items to be transacted at AGM whose names are recorded in the Register of Members (holding in physical form) or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories (holding in electronic form) on **Monday, 8th September, 2025 (cut-off date)**.

The remote e-voting period shall commence on **Thursday, 11th September, 2025 (9:00 a.m.)** and ends on **Sunday, 14th September, 2025 (5:00 p.m.)** and members shall not be allowed to vote thereafter.

The members who have not cast their vote through remote e-voting can cast during the AGM using NSDL login portal. Further, the members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person holding shares in physical form or a person, who acquires shares and become member after the dispatch of Notice and holds shares as of the cut-off date, can obtain login ID and password by sending request at evoting@nsdl.com. If she/he is already registered user then existing user id and password may be used for e-voting.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to evoting@nsdl.com

For any other queries members may contact Beetal Financial & Computer Services Private Limited, RTA of the Company, Email id: beetalrta@gmail.com Contact No. 011-42959000-09, 011-29961281-283 Website: <https://beetal.in>.

Members who would like to express their views/ask questions during the AGM, may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, Demat Account / folio number, email id, mobile number at investors.agm@hudco.org, not later than 5:00 p.m., up to 8th September, 2025

M/s Hemant Singh & Associates, Company Secretaries in practice will act as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and AGM process in fair and transparent manner.

For Housing and Urban Development Corporation Ltd.
Sd/-
Vikas Goyal
Company Secretary

Date: 23.08.2025
Place: New Delhi

IIFL CAPITAL
IIFL Capital Services Limited
(Formerly known as IIFL Securities Limited)
CIN: L99999MH1996PLC132983
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 Tel: (91-22) 3929 4000/ 4103 5000 Fax: (91-22) 25806654
E-mail: secretarial@iiflcapital.com, Website: www.iiflcapital.com

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

1. Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited) ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 16, 2025, at 11:30 a.m. IST, through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business(es) as set out in the Notice convening the 30th AGM. The deemed venue of the AGM will be the Registered Office of the Company.

2. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder, read with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent various circulars, the latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as the "**MCA Circulars**"), and pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI Listing Regulations**"), read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, and subsequent various circulars, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 (collectively referred to as the "**SEBI Circulars**"), the Notice convening AGM, including the Resolutions to be transacted, along with the Audited Financial Statements for the financial year ("FY") 2024-25, the Auditor's Report, and the Director's Report, has been sent electronically to the Members whose email addresses are registered with the Company, Depository Participants (DPs), National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (collectively referred to as the "Depositories") as on the BENPOS date, i.e., Friday, August 15, 2025. Further, a letter containing the web link and QR code to access the complete Annual Report for FY 2024-25 has been sent to those Members who have not registered their email addresses as of Friday, August 15, 2025.

The Notice and the Annual Report are also available on the Company's website at www.iiflcapital.com, on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The Company has completed the dispatch of the Notice along with the Annual Report on Saturday, August 23, 2025.

3. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, as amended, the Company is providing its Members with the facility to cast their votes electronically on the Resolutions proposed to be transacted at the AGM. The remote e-voting facility has been arranged through CDSL and is available at www.evotingindia.com.

4. A Member whose name appears in the Register of Members as on the cut-off date, i.e., Tuesday, September 09, 2025, shall be entitled to vote on the Resolutions proposed to be passed at the AGM, either through:

- Remote e-voting (i.e. the facility of casting vote by a Member using an electronic voting system from a place other than venue of AGM); or E-voting during the AGM through the CDSL platform.
- The remote e-voting will commence on Thursday, September 11, 2025, at 9:00 a.m. (IST) and will end on Monday, September 15, 2025, at 5:00 p.m. (IST). During this period, the Members of the Company holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 09, 2025, may cast their vote through remote e-voting.
- Members who become shareholders after dispatch of the AGM Notice but on or before the cut-off date, i.e., September 09, 2025, may obtain their login credentials (User ID and Password) for remote e-voting by sending a request to helpdesk.evoting@cdsl.com or rnt.helpdesk@in.mpmc.mufg.com. However, if already registered with CDSL, existing login credentials may be used for casting votes.
- Members may note that (a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 p.m. (IST) on Monday, September 15, 2025, for voting thereafter and once the vote on a Resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. (b) The e-voting facility will also be available during the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM who have not casted their vote through remote e-voting and are otherwise eligible, may vote during the AGM. (c) Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be allowed to vote again during the AGM. (d) Only a person whose name is recorded in the Register of Members or the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 09, 2025, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, as well as, e-voting during the AGM.
- Members will be provided with the facility to attend the AGM via VC/OAVM through the CDSL platform. Further details are provided in the Notice of the AGM.

5. The Company has appointed M/s Snehal Shah and Associates, Practicing Company Secretary and failing him CS Pratik M. Shah, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

6. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under Help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or call at toll free no. 1800 21 09911.

7. Members who need technical assistance before or during the AGM can send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at 1800 21 09911.

Date: August 24, 2025
Place: Mumbai

Sd/-
Meghal Shah
Company Secretary

‘भारत 15 वर्षों में 100 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करेगा’

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 23 अगस्त।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत 15 वर्षों में 100 से अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि ये उपग्रह सरकारी प्रौद्योगिकी अभियानों और निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले परिचालन मिशनों के तहत प्रक्षेपित किए जाएंगे।

सिंह ने दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अगले 15 वर्षों के वास्ते एक प्रारूप भी जारी किया। इस समारोह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी नारायणन, आइएनएसपीएसी के अध्यक्ष पवन गोयनका और ‘गगनयान’ मिशन के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। सिंह ने कहा कि यह रोडमैप 2040 और उसके आगे भारत की अंतरिक्ष यात्रा का मार्गदर्शन करेगा तथा खाद्य एवं जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन क्षमता, पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण का समर्थन करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश कर चुका है,



अंतरिक्ष मिशन के अवसर पर, भारत सरकार के अध्यक्ष वी. नारायणन (बाएं) और आइएनएसपीएसी के अध्यक्ष पवन गोयनका (दाएं) एक पुरस्कार प्रदान करते हैं।

जहां यह अब प्रतीकात्मक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोलने से नवाचार और उद्यमिता की एक नई लहर पैदा हुई है। सिंह ने कहा कि भारत एक समय

भारत के अंतरिक्ष मिशन का दस्तावेजीकरण

हैं एनसीईआरटी के विशेष पाठ

भारत में 1960 के दशक में साइकिल और बेलगाड़ी पर राकेट

ले जाने से लेकर चंद्रयान और गगनयान जैसे ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियानों तक, देश का वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों के बीच उदय अब एनसीईआरटी के विशेष पाठ का हिस्सा है।

दो विशेष पाठ में ‘भारत: एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति’ शीर्षक से इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार 1962 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (आइएनसीओएसपीएआर) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का रूप लिया, जिसने ऐसी उपलब्धियां हासिल की।

सिर्फ सरकार के नेतृत्व वाली परियोजनाओं तक सीमित था, लेकिन आज देश में सैकड़ों नवउद्यम हैं, जो अंतरग्रहीय अन्वेषण के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन में संभावित अनुप्रयोगों वाली प्रौद्योगिकियों के विकास में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने चुपचाप लोगों के जीवन में प्रवेश कर लिया है।

गठिया के इलाज में आयुर्वेद प्रबंधन असरदार, घटा रोग का दुष्प्रभाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

रुमेटीइड गठिया के इलाज में आयुर्वेद प्रबंधन असरदार पाया गया है। आयुर्वेदिक दवाओं को मदद से रोग का दुष्प्रभाव घटा, साथ ही रोगी में तेजी से सुधार भी हुआ। यह खुलासा केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के विशेषज्ञों के शोध में हुआ।

इस अध्ययन में पटना, भुवनेश्वर और गुवाहाटी के आयुर्वेद अनुसंधान संस्थानों में 180 प्रतिभागियों के साथ अध्ययन किया गया। यह मरीज अमेरिकन कालेज आफ रुमेटोलोजी मानदंडों के अनुसार नैदानिक रूप से निदान किए गए 20 से 60 साल के आयुवर्ग से थे। इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते वायु प्रदूषण, खराब होती जीवनशैली सहित दूसरे कारणों से रुमेटीइड गठिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस रोग के उपचार में लंबे समय तक एंजोपैथिक दवाएं मरीजों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक दवाएं दुष्प्रभाव को कम कर राहत दे

भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने भविष्य की उड़ानों पर चर्चा की

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 23 अगस्त।

देश के गगनयान मिशन के लिए चुने गए चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने शनिवार को मानव अंतरिक्ष उड़ान के गहरे मायने को रेखांकित करते हुए इसे प्राचीन ज्ञान, विनम्रता, वैज्ञानिक खोज और पृथ्वी से परे अन्वेषण के नई पीढ़ी के सपनों से जोड़ा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर एक सत्र के दौरान बोलते हुए ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर ने कहा कि भारत के सभ्यतागत ज्ञान ने आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का बहुत पहले अनुमान लगा लिया था।

उन्होंने कहा, ‘हम एक प्राचीन सभ्यता हैं। मुझे हमेशा लगता रहा है कि हम इतने आगे थे कि हम ऊब गए और दुनिया को हमसे आगे निकल जाने दिया। अब हम फिर से पीछे लौट रहे हैं।’ कैसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष एक समय भारत के ज्योतिष शास्त्र में एकीकृत थे। महाकाव्यों के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि रामायण में भी ‘पूरा मिशन नियंत्रण’ समाहित है, जब हनुमान ने अपने दल के सहयोग से ‘एक अंतरिक्ष यात्री की तरह’ छलांग लगाई थी।

उन्होंने कहा, ‘हम एक प्राचीन सभ्यता हैं। मुझे हमेशा लगता रहा है कि हम इतने आगे थे कि हम ऊब गए और दुनिया को हमसे आगे निकल जाने दिया। अब हम फिर से पीछे लौट रहे हैं।’ कैसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष एक समय भारत के ज्योतिष शास्त्र में एकीकृत थे। महाकाव्यों के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि रामायण में भी ‘पूरा मिशन नियंत्रण’ समाहित है, जब हनुमान ने अपने दल के सहयोग से ‘एक अंतरिक्ष यात्री की तरह’ छलांग लगाई थी।

सकती हैं। यह गठिया एक स्व-प्रतिरक्षी रोग है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से जोड़ों को प्रभावित करती है। इस कारण दर्द, सूजन और अकड़न होती है। साथ ही समय के साथ जोड़ों, उपास्थि और हड्डियों को क्षति पहुंचती है। यह हाथों, कलाईयों और घुटनों सहित दूसरे जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। सीसीआरएएस के महानिदेशक रबीनारायण आचार्य ने बताया कि रुमेटीइड गठिया के इलाज में आयुर्वेद हस्तक्षेप असरदार पाया गया है। इन हस्तक्षेपों की चिकित्सीय क्षमता को और मजबूत करने के लिए संस्थान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आरसीएमआर) सहित अन्य आयुर्वेद अनुसंधान संस्थानों में शोध जारी है।

विशेषज्ञों ने बताया कि अध्ययन प्रतिभागियों को 12 सप्ताह के लिए आयुर्वेद हस्तक्षेप, वातारि गुग्गुलु (बीजी), हिंगवाष्टक चूर्ण (एचसी) और बृहत् सैधवाद्य तेल (बीएस) से उपचार दिया गया। हर चार सप्ताह के बाद अध्ययन प्रतिभागियों में अनुवर्ती कार्रवाई की गई। इस दौरान प्राथमिक परिणाम माप आधार रेखा से रोग गतिविधि स्कोर-28 (डीएएस28) में परिवर्तन देखा गया।



प्रदर्शन
अहमदाबाद में दसवीं के छात्र की चाकू घोंप कर हुई हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते लोग।

सरकारी विद्यालयों में 86,000 जर्जर कक्षाओं के उपयोग पर रोक लगाई

जयपुर, 23 अगस्त (भाषा)।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में 86,000 से अधिक जर्जर कक्षाों (क्लासरूम) के उपयोग पर रोक लगा दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन कमरों को बंद कर दिया जाए और बच्चों को इनमें प्रवेश न करने दिया जाए।

न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन की पीठ ने जुलाई में झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से हुए हादसे के बाद करवाए गए सरकारी सर्वेक्षण के मद्देनजर शुक्रवार को यह आदेश दिया। इस घटना में सात विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और आठ बच्चे घायल हो गए थे। अदालत ने राज्य सरकार से

उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा ताकि प्रभावित विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। रपट के अनुसार, राजस्थान में 63,018 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 5,26,162 कक्ष हैं। रपट में बताया गया कि इनमें से 86,934 कक्ष पूरी तरह से जर्जर पाए गए।

सर्वेक्षण के अनुसार, 5,667 स्कूल उपयोग के लिए पूरी तरह से असुरक्षित पाए गए। वहीं 17,109 शौचालय जर्जर पाए गए जबकि 29,093 को मरम्मत योग्य पाया गया। जैसलमेर में

स्कूल का मुख्य द्वार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और दो अन्य छात्र घायल हो गए थे। अदालत ने अब इंजीनियरों से तकनीकी सत्यापन रपट मांगी है और मामले की सुनवाई चार सितंबर के लिए तय कर दी।



अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एलघातु जससामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रें) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्पन्न कर्जदार(रें) एवं जमानती(बी) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

लॉट सं.	शाखा का नाम	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/ स्वामी का नाम (सम्पत्ति के बंधककर्ता)	(A) सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मौग सूचना की तिथि	(E) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत लेनदार के संज्ञान में अद्यतनों का विवरण
	खाते का नाम		(B) सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत बकाया राशि	(F) ईंपरी		
	कर्जदार/जमानतियों के खाते का नाम तथा पता		(C) सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि	(G) सविदा कूटि राशि		
1.	शा.का.: इंदिरापुरम एसओएल आईडी- 120710 श्रीमती मोनिका चौहान पत्नी श्री तनम कुमार चौहान श्रीमती मोनिका चौहान पत्नी श्व. तनम कुमार चौहान (कर्जदार) निवासी- फ्लैट नंबर 638, ग्राउंड फ्लोर, न्याय खंड- क इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010, साथ ही:- ए-81, सेक्टर-12, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301 इसके अलावा:- एन-128, सेक्टर-12, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301 श्री तनम कुमार चौहान पुत्र श्री गौतमनाथ कुमार चौहान (गारंटर) निवासी- फ्लैट नंबर 638, ग्राउंड फ्लोर, न्याय खंड- क इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010 इसके अलावा, पता:- ए- 93, सेक्टर-12, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301	आवासीय फ्लैट संख्या 638, भूतल (बिना छत के अधिकार के), न्याय खंड- क इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010, श्रीमती मोनिका चौहान पत्नी श्री विजय सिंह तल्ल के नाम पर। (क्षेत्रफल 24.65 वर्ग मीटर)	(A) 21.05.2025 (B) रु. 2252631.67/- तिथि 30.04.2025 (C) 02.08.2025 (D) सांकेतिक	(A) रु. 6.80 लाख (B) रु. 0.68 लाख (C) रु. 0.20 लाख	25.09.2025 को 11.00 बजे पूर्ण, से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं
2.	शा.का.: इंदिरापुरम एसओएल आईडी- 120710 श्रीमती पावल त्वाणी पत्नी स्वामीय राज कुमार त्वाणी (दिवंगत कर्जदार राज कुमार त्वाणी पुत्र जीराज सिंह त्वाणी को कानूनी उत्तराधिकारी) श्रीमती पावल त्वाणी पत्नी स्वामीय राज कुमार त्वाणी (दिवंगत कर्जदार राज कुमार त्वाणी पुत्र जीराज सिंह त्वाणी को कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी- मकान संख्या सी-252/ए, ईडब्ल्यूएस, प्रथम तल, ब्लॉक-सी, सेक्टर-4, लाजपत नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005 मोहम्मद तौफिह खान पुत्र मोहम्मद खुशीद (गारंटर) निवासी- एस्पएमक्यू, 620, एडवोकेट रंजन सिंह, हिंडन, गाजियाबाद- 201002 इसके अलावा, पता:- मेरसर्त अक्सा इलेक्ट्रिकल के मालिक, ए-20, लाजपत नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201002	आवासीय मकान संख्या उ-252/अ, एहर प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), ब्लॉक-सी, सेक्टर-4, लाजपत नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005, स्वामीय श्री राज कुमार त्वाणी पुत्र श्री जीराज सिंह त्वाणी के नाम पर। (क्षेत्रफल 20.72 वर्ग मीटर)	(A) 21.05.2025 (B) रु. 899284/- तिथि 30.04.2025 (C) 02.08.2025 (D) सांकेतिक	(A) रु. 11.00 लाख (B) रु. 1.10 लाख (C) रु. 0.20 लाख	25.09.2025 को 11.00 बजे पूर्ण, से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं
3.	शा.का.: इंदिरापुरम एसओएल आईडी- 120710 रुबीना धरवीन पत्नी कथूम खान रुबीना धरवीन पत्नी कथूम खान (कर्जदार) निवासी- एन-451, भूतल, ब्लॉक-एन, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201002 इसके अलावा, पता:- एन-458, भूतल, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 कथूम खान पुत्र वासुदेव (गारंटर) निवासी- एन-451, भूतल, ब्लॉक-एन, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 इसके अलावा, पता:- एन-458, भूतल, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 इसके अलावा, पता:- चैबर संख्या 898, सिविल कोर्ट, राज नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-	आवासीय मकान संख्या एन-451, भूतल (छत के अधिकार के बिना), ब्लॉक-ए, सेक्टर-23, संजय नगर, गढ़सीली एन विला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201002, रुबीना धरवीन पत्नी कथूम खान के नाम पर (क्षेत्रफल 42.69 वर्ग मीटर)	(A) 21.05.2025 (B) रु. 2258200/- तिथि 30.04.2025 (C) 02.08.2025 (D) सांकेतिक	(A) रु. 12.75 लाख (B) रु. 127500.00 (C) रु. 0.20 लाख	25.09.2025 को 11.00 बजे पूर्ण, से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं
4.	शा.का.: इंदिरापुरम एसओएल आईडी- 405200 श्रीमती पूनम पत्नी श्री दुष्यंत कुमार श्रीमती पूनम पत्नी श्री दुष्यंत कुमार (कर्जदार) मकान नंबर 341, न्यायद्वय, दादरी, गौतमबुद्धनगर, उ.प्र. श्री उधम सिंह सितोही पुत्र श्री यशवीर सिंह (गारंटर) पता: प्लॉट नंबर 3 उद्योग केंद्र सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा	आवासीय फ्लैट संख्या ई-38/04-ए, ब्लॉक-ए में प्रथम तल, मयुवन वासुधाम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, का संघर्षी भाग। क्षेत्रफल 29.70 वर्ग मीटर। श्रीमती पूनम पत्नी श्री दुष्यंत कुमार के नाम पर	(A) 23.06.2021 (B) रु. 9,75,369/- तिथि 31.05.2021 (C) 12.10.2022 (D) सांकेतिक	(A) रु. 10.00 लाख (B) रु. 1.00 लाख (C) रु. 0.20 लाख	16.09.2025 को 11.00 बजे पूर्ण, से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं
5.	शा.का.: लोनी गाजियाबाद, एसओएल आईडी-053410 रहीना खान पत्नी मोहम्मद नाजिम खान रहीना खान पत्नी मोहम्मद नाजिम खान (कर्जदार) निवासी- 105, गली नंबर 6, जाफरनगर, सीलमपुर, दिल्ली-110053 इसके अलावा:- फ्लैट नंबर 02, जीएफ, प्लॉट नंबर 9/2, डीएलएफ, अंडरू विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. 201102 मोहम्मद नाजिम खान पुत्र मो. गुलाम नबी खान (सह-कर्जदार) निवासी- 105, गली नंबर 6, जाफरनगर, सीलमपुर, दिल्ली-110053	आवासीय फ्लैट संख्या-जीएफ.02, एम.आई.जी., भूतल (पिछला भाग), प्लॉट संख्या-जी-9/2, डीएलएफ अंडरू विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 62.52 वर्ग मीटर, रहीना खान पत्नी मोहम्मद नाजिम खान के नाम पर।	(A) 10.11.2022 (B) रु. 8.18 लाख तिथि 31.10.2022 (C) 10.08.2023 (D) भौतिक	(A) रु. 9.72 लाख (B) रु. 97,200/- (C) रु. 10,000/-	16.09.2025 को 11.00 बजे पूर्ण, से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं
6.	शा.का.: मेवाड़ प्रबंधन संस्थान, सोलन आईडी-523310 श्री धीरज सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह श्री धीरज सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह (कर्जदार) निवासी- मकान संख्या सी-1180, ब्लॉक-सी, नंद ग्राम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 साथ ही, पता:- ईडब्ल्यूएस फ्लैट संख्या-ई-658ए, प्रथम तल, ब्लॉक-ई, नंद निकुंज, नंद ग्राम, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 श्री सुभाष कुमार शर्मा पुत्र श्री राज कुमार शर्मा (गारंटर) निवासी- मकान संख्या सी-1225, नंद ग्राम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	आवासीय ईडब्ल्यूएस फ्लैट संख्या-ई-658ए, प्रथम तल (छत के अधिकार के बिना), ब्लॉक-ई, नंद निकुंज, नंद ग्राम, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 18.63 वर्ग मीटर, श्री धीरज सिंह के नाम पर।	(A) 01.08.2022 (B) रु. 7,16,844.08 तिथि 31.07.2022 (C) 08.12.2022 (D) सांकेतिक	(A) रु. 05.10 लाख (B) रु. 0.51 लाख (C) रु. 10,000/-	16.09.2025 को 11.00 बजे पूर्ण, से 04.00 बजे अप.	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ कपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषण में किसी त्रुटि, गलतबक्यानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलामी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया <https://baanknet.com> तथा www.pnbindia.in देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/परिवर प्रभार/पंजीकृत शुल्क, स्टॉप शुल्क, कर आदि सहित अन्य बकाया क्रेता को खरन करना होगा और प्राधिकृत कार्यालय या बैंक किसी भी शुल्क, भार में ग्रहणाधिकार या सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह वैधानिक दैनन्दिनियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में स्वतंत्र जांच करें।

(सर्फेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना)

दिनांक : 22.08.2025 स्थान : गाजियाबाद

अधिकृत प्राधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक		
(एक सरकारी का उद्यम)		
Punjab & Sind Bank		
(एक सरकारी का उद्यम)		
Where service is a way of life		
आंचलिक कार्यालय: प्रथम तल, सतगुरु चौराहा सेक्टर 2ई, जानकीपुरम, लखनऊ 226021		
कच्चे की सूचना व्यक्तिगत हित (प्रवर्तन) विवरण 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत,		
एलघातु जससामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रें) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्पन्न कर्जदार(रें) एवं जमानती(बी) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है", "जो है वहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहाँ है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।		
क्र. सं.	खातकर्ता और गाजर का नाम	अचल संपत्ति का विवरण
1.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी- बंदपुरवा, पोस्ट चंदपुरवा बुधुगं, तहसील हमीरपुर (उत्तरांचल), श्रीमती सुखला देवी पत्नी श्री राकेश निवासी- चंदपुरवा, पोस्ट चंदपुरवा बुधुगं, तहसील हमीरपुर (सह-उत्तरांचल)	28.02.2025 तक आवात करी राशि रु.10,65,220.01/- (दस लाख पैसठ हजार दो सौ बीस और एक पैसे मात्र) के साथ पठित 01.03.2025 से प्रभावी ब्याज और अन्य व्यय एवं 28.02.2025 तक रु.5,08,580.58 (पांच सौ चार लाख आठ हजार पाँच सौ अस्सी और अठ्ठान पैसे मात्र) की एलएपी उतार पर 01.03. 2025 से प्रभावी ब्याज और अन्य व्यय। मौग सूचना तिथि01.03.2025 और कच्चा तिथि: 18.08.2025
		संपत्ति अर्थात आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 89.22 वर्ग मीटर, क्रमांक 3555, बंगला संख्या 1, जितार संख्या 4647, दिनांक 24.06.2020 को पृष्ठ संख्या 143-168 उप रजिस्ट्रार हमीरपुर में पंजीकृत। श्री सरला देवी पत्नी राक. रा कुमार के नाम से सुनैपुर जिला हमीरपुर में स्थित संपत्ति। सीमा पूर्व में-सुधमा गोमना का प्लॉट, पश्चिम में - दिग्विजय सिंह का प्लॉट, उत्तर में - रास्ता, दक्षिण में - खुली भूमि।
दिनांक: 24.08.2025, स्थान: नरखा सुनैपुर		
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एंड सिंध बैंक		

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN: L74899DL1970G01005276 GST NO.: 07AAACH0632A1ZF

पंजीकृत कार्यालय: कोर ए/ए, हड़को भवन, भारत पब्लिशिंग केन्द्र,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरभाष: 011-24649610-21

वेबसाइट: www.hudco.org.in, ईमेल: csw@hudco@hudco.org

सूचना

55वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एलघातु जससामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रें) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 55वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार 15 सितंबर, 2025, सोमवार को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) नोटिस में उल्लिखित कार्यों हेतु बोर्डिंग कॉन्फरेंस (बीसी) /अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ऑडियोवि) के माध्यम